

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 15 MAY 2016

:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है। इन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

क्र०सं०	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3
1.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कामां जिला भरतपुर	कामां
2.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागवाड़ा जिला डूंगरपुर	सागवाड़ा
3.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भवानीमण्डी जिला झालावाड़	भवानीमण्डी
4.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चुरू शिविर सरदारशहर	चुरू एवं सरदारशहर

राज्यपाल के आदेश से

16/05/16

(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भरतपुर, / डूंगरपुर / झालावाड़ / चुरू
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

16-05-16

(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवसिया)

संयुक्त शासन सचिव